दिनांक–18.11.2013 को श्री गोपाल मीणा, भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक तथा लेखा सहायक(ग्रामीण आवास) के नियुक्ति के संबंध में हुई बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. श्री मोहन प्रकाश 'मधुकर' उप विकास आयुक्त, मधेपुरा
2. श्री भवानन्द राय, जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा
3. श्री अरविन्द पासवान, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा

जिला पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक तथा लेखा सहायक(ग्रामीण आवास) के नियुक्ति हेतु ग्रामीण विकास विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन की मांग दिनांक–29.11.2013 तक की गयी है। इस तिथि के उपरांत मधेपुरा जिला में नियुक्ति हेतु जिन अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया जायेगा उनका आवेदन मधेपुरा जिला के एन.आई.सी., मधेपुरा के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा तदोपरान्त विभागीय निदेशानुसार निम्न कार्रवाई किया जाना है :–

1. नियोजन के लिए पदवार एवं श्रेणीवार आदर्श रोस्टर तैयार करना।
2. ऑनलाईन आवेदन को डाउनलोड करना।
3. पदवार एवं श्रेणीवार मेधा सूची तैयार करना।
4. मेधा सूची का वेबसाइट पर प्रारुप प्रकाशन करना।
5. मेधा सूची के संबंध में दावा आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि निर्धारण करना।
6. जिला स्तरीय नियोजन समिति के द्वारा दावा आपत्ति पर विचारण एवं निष्पादन करना।
7. मेधा सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन करना।
8. नियोजन हेतु चयनित आवेदकों को काउन्सलिंग हेतु ई–मेल से सूचना देना।
9. चयनित आवेदकों का काउन्सलिंग करना।
10. अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को नियोजन पत्र(पदस्थापन के साथ) हस्तगत कराना।

जिला पदाधिकारी द्वारा गठित समिति के दायित्व को बताया गया, जो निम्न प्रकार है :–

1. संकल्प की कांडिका–4 के स्तम्भ –7 तथा आदर्श रोस्टर के आलोक में मेधा सूची का निर्धारण।

2. श्रेणीवार प्रारूप मेधा सूची का जिले के वेबसाईट पर प्रकाशन।
3. इस प्रारूप पर कोई भी आवेदक प्रकाशन के एक सप्ताह के अन्दर चयन समिति के सदस्य सचिव के समक्ष आपत्ति कर सकता है।
4. जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा आपत्ति/दावों पर विचारण के उपरान्त अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जायेगा।
5. प्रत्येक वर्ग की मेधा सूची के मेरिट क्रम में जिले के आवश्यक बल का 50 प्रतिशत अधिक उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जायेगा।
6. उपरोक्त पैनल में सम्मिलित आवेदकों को ई–मेल के द्वारा/वेबसाईट के माध्यम से काउंसेलिंग की तिथि की सूचना दी जायेगी।
7. काउंसेलिंग में अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन करना।
8. निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने पर उम्मीदवार का दावा रद्द कर दिया जायेगा।
9. यह पैनल मात्र एक साल के लिए वैद्य होगा। पैनल के निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने पर अथवा पैनल समाप्त हो जाने पर इसी प्रक्रिया से अगला पैनल तैयार किया जायेगा।

उक्त कार्यो के संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि मधेपुरा जिला हेतु प्राप्त आवेदन एन.आई.सी., मधेपुरा से आवेदन प्राप्त करने हेतु जिला सूचना–विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचित किया जाए तथा रोस्टर के अनुसार मेधा सूची को तैयार करने हेतु जिला स्थापना उपसमाहर्त्ता, मधेपुरा की सहायता ली जा सकती है, साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि आवेदन प्राप्ति की तिथि के एक सप्ताह के बाद समिति पुनः विचारण हेतु बैठक आयोजन की जाय।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

जिला पदाधिकारी

...नवम्बर, 2013 इ0।

...चनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी संबंधित पदाधिकारी को स...